राजस्थान सरकार
वित्त (कोष एवं लेखा) विभाग

क्रमांकः एफ.5(थ–75)डीटीए / IFMS 3.0/ 11592-751 दिनांक 08/02/2024

समस्त
विभागाध्यक्ष।

विषयः– **आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा वित्त विभाग का परिपत्र 9565--7640 दिनांक 27.01.2024 की पालना एवं आई.एफ.एम.एस. में उपलब्ध कार्मिकों, पेंशनर्स, संवेदको, लाभार्थियों के डेटा की शुद्धता सुनिश्चित करने के क्रम में।**

संदर्भः– वित्त विभाग का परिपत्र 9565–7640 दिनांक 27.01.2024

महोदय,

आई.एफ.एम.एस. 3.0 के माध्यम से कार्मिकों के मास्टर डेटा संधारण, रजिस्ट्रेशन, संवेतन बिल जनरेशन, कोष प्रणाली, ई–भुगतान एवं कार्यालयाध्यक्ष घोषित करने की प्रक्रियाओं का संचालन दिनांक 01.02.2024 से प्रारम्भ किया जा चुका है। वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 27.01.2024, 04.10.2023, 17.06.2021 एवं 31.05.2023 के क्रम में संवेतन बिलों संबंधी से संबंधित कार्यवाही एवं कार्मिकों के मास्टर डेटा में अपडेशन का कार्य आई.एफ.एम.एस. 3.0 पर ही संपादित की जानी अपेक्षित है।

इस संबंध में राजकीय संव्यवहारों (व्यय एवं आय) का सम्पादन आई.एफ.एम.एस. 3.0 के अन्तर्गत सुनिश्चित किये जाने हेतु निम्नानुसार कार्यवाही विभागाध्यक्ष स्तर पर किया जाना अपेक्षित है :–

1. सभी विभागाध्यक्ष स्तर पर सिस्टम आधारित प्रक्रिया से कार्यालयाध्यक्ष / आहरण वितरण अधिकारी घोषित करने संबंधी कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।
2. सभी कार्यालयाध्यक्षों को निर्देशित किया जाना अपेक्षित है कि यदि उनके कार्यालय हेतु पृथक से आहरण वितरण अधिकारी घोषित किया जाना हो तो सिस्टम आधारित प्रक्रिया से ही आहरण वितरण अधिकारी नामित किया जावे।
3. विभाग के अधीनस्थ सभी कार्यालयाध्यक्षों को कार्मिकों के मास्टर डेटा का आई.एफ.एम.एस. 2.0 से माईग्रेशन पश्चात आई.एफ.एम.एस. 3.0 से जाँच कर वेरिफिकेशन, अपडेशन का कार्य किये जाने हेतु निर्देशित किया जाना अपेक्षित है।
4. उक्त प्रक्रियाओं का सम्पादन करने हेतु यह अत्यन्त आवश्यक है कि आई.एफ.एम.एस. में उपलब्ध कार्मिकों, पेंशनर्स, संवेदको, लाभार्थियों के डेटा की शुद्धता आहरण वितरण अधिकारियों के स्तर पर निरन्तर जाँच करते हुए सुनिश्चित की जाये। इस प्रक्रिया में भुगतान संबंधी मास्टर डेटा एवं बैंक खातों व IFSC Code के डेटा का शुद्ध होना अत्यन्त आवश्यक है। डेटा की शुद्धता का व्यक्तिशः दायित्व आहरण वितरण अधिकारियों का है।

5. विभाग के अधीनस्थ सभी आहरण वितरण अधिकारियों को आई.एफ.एम.एस. 3.0 पर उपलब्ध कार्मिकों के डेटा एवं जनरेटेड वेतन बिलों को पे–मैनेजर पर उपलब्ध कार्मिकों के डेटा एवं वेतन बिल से जाँच किये जाने हेतु निर्देशित करावे तथा आगामी माहों के वेतन बिलों के संबंध में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रियानुसार आई.एफ.एम.एस. 3.0 पर आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित करावें।

6. विभाग के अधीनस्थ सभी कार्यालयाध्यक्षों/आहरण वितरण अधिकारियों को वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 27.01.2024 में निर्देशित सभी दिशा–निर्देशों की पालना सुनिश्चित किये जानें हेतु निर्देशित किया जाना अपेक्षित है।

7. निदेशालय कोष एवं लेखा विभाग द्वारा उक्त प्रक्रिया के संबंध में कोषालयों के माध्यम से ऑनलाइन प्रशिक्षण नियमित रूप से प्रदान किया जा रहा है। अतः सभी अधीनस्थ कार्यालयाध्यक्षों/आहरण वितरण अधिकारियों को उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में कोषालय से समन्वय कर भाग लेना सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित कराया जाना अपेक्षित है।

भवदीय

(नरेश कुमार ठकराल)
शासन सचिव, वित्त (बजट)

क्रमांकः एफ.5(थ–75)डीटीए / IFMS 3.0/ 11752–757 दिनांक 08/02/2024

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निदेशक, वित्त (बजट) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. वित्तीय सलाहकार, समस्त विभाग।
3. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी., शासन सचिवालय, जयपुर।
4. तकनीकी निदेशक, वित्त विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को वित्त विभाग की साईट पर अपलोड करवाने हेतु।
5. श्री आई.डी. वरियानी, वरिष्ठ निदेशक (आई.टी.), एन.आई.सी., एल.आई.सी. भवन, जयपुर।
6. श्री मुकेश शर्मा, वरिष्ठ निदेशक (आई.टी.), एन.आई.सी., एल.आई.सी. भवन, जयपुर।

(भूपेश माथुर)
संयुक्त शासन सचिव